मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ 1–30/2011/18–3 भोपाल, दिनांक 06 सितंबर, 2013

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें), नियम 1998 के नियम 15–क के अंतर्गत अवैध कालोनियों का नियमितीकरण किया जाना ।

–/–

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अध्याय तेईस–क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अध्याय बारह–क के अंतर्गत कालोनी निर्माण के संबंध में क्रमशः निगम क्षेत्रों में आयुक्त तथा नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी को सशक्त बनाया गया है । कालोनी निर्माण संबंधी प्रक्रिया का विनियमन मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था है ।

1– राज्य शासन द्वारा उक्त नियमों में संशोधन किये जाने संबंधी निम्नांकित अधिसूचनाओं की प्रतियां इस पत्र के साथ आपकी ओर संलग्न प्रेषित हैं :–

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 50–एफ–1–30–2011–अठारह–3

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3 सितंबर, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 61–एफ–1–30–2011–अठारह–3

मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 की अद्यतन संशोधित प्रति विभाग की बेवसाईट **www.mpurban.gov.in** पर उपलब्ध है ।

2– राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.4.2013 से 1998 के नियमों में संशोधन किया जाकर नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र के संबंध में कालोनी निर्माण के संबंध में कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी विहित किया गया है ।इसी प्रकार कालोनियों में आंतरिक विकास लागत की गणना विभाग द्वारा प्रकाशित दरों की समेकित मानक अनुसूची के अधीन प्रचलित दरों के आधार पर किये जाने,आंतरिक विकास की लागत की राशि के बदले कालोनाईजर से समान राशि की बैंक की गारंटी देने का विकल्प उपलब्ध कराने, कालोनी में भूखंडीय विकास के अतिरिक्त अन्य मामलों में भवन निर्माण की अनुज्ञा कालोनी विकास की अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् देने की व्यवस्था की गई है । नियमों में नया नियम 14–ख के अंतर्गत कालोनाईजर को ब्लैकलिस्ट किये जाने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं ।

3– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3.9.2013 में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका(कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 15–क के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण किये जाने की व्यवस्था की गई है । तद्नुसार अब शहरों में 31 दिसम्बर, 2012 तक निर्मित अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की प्रकिया निगम की स्थिति में आयुक्त द्वारा तथा नगरपालिका/नगर परिषद की स्थिति में कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रारंभ की जानी है ।

4– राज्य शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में नियम 15–क में वर्णित प्रकिया तथा उपबंधों का पालन निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया जाये :–

(1) अवैध कालोनियों का नियमितीकरण करते समय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित नियोजन मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा । परंतु कालोनी के आंतरिक भाग में खुले स्थान उपलब्ध नहीं होने पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियमों में विहित प्रक्रिया से दाण्डिक प्रभार वसूल कर ऐसी कालोनियों का नियमितीकरण किया जा सकेगा ।

(2) *अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कालोनी के आंतरिक विकास पर लगने वाली कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग कालोनाईजर/रहवासियों द्वारा वहन किया जाना होगा । शेष राशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगरीय निकाय द्वारा 20 प्रतिशत अंशदान के रूप में की जायेगी । नियमितीकरण की प्रक्रिया में उन कालोनियों को वरीयता दी जायेगी जिनमें कालोनाईजर/रहवासी 50 प्रतिशत से अधिक अंशदान तुरंत नगरपालिका में जमा करा देते हैं । कालोनी में आंतरिक विकास लागत का विधिवत आंकलन होने के बाद नगरीय निकाय राज्य शासन के अंशदान की राशि प्राप्त करने के लिये औपचारिक प्रस्ताव आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करेंगी ।*

(3) *कालोनियों में आंतरिक विकास शुल्क की रहवासियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों से ग्रुप फायनेंसिग के अंतर्गत अपने स्वामित्व के भवन / भूखंड बंधक रखकर ऋण उपलब्ध कराकर करने में नगरीय निकायों द्वारा मध्यस्थता की जाये । इसमें सहयोग नहीं करने वाले रहवासियों से विकास शुल्क की राशि नगरपालिक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत वसूल की जायेगी ।*

(4) *अवैध कालोनियों के नियमितीकरण उपरांत उसमें निर्मित भवनों के 10 प्रतिशत तक नियोजन मापदण्डों के उल्लंघन संबंधी मामलों में शमन कर उनका नियमितीकरण किया जायेगा ।*

5— राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शहरों में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही संबंधित निगमायुक्त/कलेक्टर द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ की जाये ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ0 कमांक एफ 1–30/2011/18–3 भोपाल, दिनांक 06 सितंबर, 2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. विशेष सहायक/निज सचिव, मान. मंत्रीजी/मान. राज्यमंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,भोपाल ।
6. समस्त संभागीय उप संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद,मध्यप्रदेश ।
9. श्री अंशुमन सिंह, वेब कंटेन्ट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये ।

6/9/13

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2013—भाद्र 12, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2013

अ.क्र. 61 एफ 1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ङ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख और 339-ङ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15-क में,—

(क) अंक और शब्द "30 जून 2007" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर 2012" स्थापित किए जाएं.

(ख) खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(तीन-क) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में अल्प आय गृह निर्माण के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 से संलग्न परिशिष्ट ञ में यथाविनिर्दिष्ट समय-समय पर यथासंशोधित विशेष योजना सन्नियमों का अनुसरण किया जाएगा. तथापि, खुली भूमि अनुपलब्ध होने की दशा में इस नियम के खण्ड (छह) के उपबंधों के अनुसार प्रभारों की वसूली की जाएगी.".

(ग) खण्ड (आठ-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(आठ-क) यदि भूखण्ड या भवन का धारक विकास प्रभारों का भुगतान करने के लिए ऋण लेने हेतु यथास्थिति अपना भूखण्ड या भवन बंधक रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा. नगरपालिका ऐसी कालोनी के कालोनाईजर/

रहवासियों को वित्तीय संस्थाओं से समूह वित्त योजनाओं के अंतर्गत संबंधित भूखण्ड या भवन बंधक रखकर आंतरिक विकास की लागत चुकाने के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता कर सकेगी. यदि कम से कम पचहत्तर प्रतिशत रहवासियों की सहमति प्राप्त हो जाती है तो नगरपालिका ऐसे ऋण की व्यवस्था आरंभ करेगी. आंतरिक विकास की लागत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शेष रहवासियों से नगरपालिक शोध्यों के रूप में वसूल की जाएगी.''.

Noti. 61-F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Sections 339-A, 339-B and 339-E of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 15-A,—

(a) for the figures, and word "30th June 2007", wherever they occur, the figures and word "31st December 2012" shall be substituted.

(b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii-a) In regularizing the Unauthorised colonies, the special planning norms as specified in Appendix-j attached to the Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam, 2012 as amended from time to time for low income housing shall be followed. However, in case of non-availability of open land the charges shall be recovered in accordance with the provisions of clause (vi) of this rule.".

(c) for clause (viii-a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(viii-a) If the plot or house holder wants to mortgage his plot or house, as the case may be, for taking loan to pay the development charges, then he may do so. The municipality may assist the colonizer/residents of such colonies in obtaining loan under group financing schemes from financial institutions by mortgaging the respective land/houses to meet the cost of internal development. The Municipality shall proceed in arranging such loan if consent of atleast seventy five percent residents has been received. The cost of internal development shall be recovered from the remaining residents as municipal dues in accordance with the provisions of the Act.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अप्रैल 2013—वैशाख 2, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2013

अधि. क्र. 50-एफ-1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ङ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख और 339-ङ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 2 में, —

(1) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ) "कलक्टर" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिले का कलक्टर.".

(2) खण्ड (ज) में, शब्द तथा कोष्ठक "उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)" के स्थान पर, शब्द "कलक्टर" स्थापित किया जाए.

2. नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"7क. आंतरिक विकास की लागत—कालोनी में आंतरिक विकास की लागत, विभाग द्वारा प्रकाशित दरों की समेकित मानक अनुसूची के अधीन प्रचलित दरों के आधार पर संगणित की जाएगी.".

3. नियम 10 के उपनियम (13) में, शब्द ''बंधक रखे गए भू-खण्ड'' के पश्चात्, शब्द ''या बैंक गारंटी, यथास्थिति'', अंत:स्थापित किए जाएं.

4. नियम 12 में,—

(1) खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(एक) कालोनी में पूर्ण आंतरिक विकास सुनिश्चित किये जाने हेतु, कालोनाईजर द्वारा विकसित किए जाने वाले यथास्थिति भू-खण्डों या भवनों या फ्लैट्स में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए आरक्षित रखे गए भू-खण्डों या भवनों या फ्लैट्स को छोड़कर कालोनाईजर द्वारा निम्नलिखित के अनुपात में भू-खण्ड या भवन या फ्लैट्स संबंधित नगरपालिका के पास बंधक रखे जाएंगे—

(क) भू-खण्डीय विकास की दशा में, उतनी संख्या में भू-खण्ड, जिनका मूल्य ऐसे भू-खण्डों की सन्निर्माण लागत, यदि कोई हो, को छोड़कर, भू-खण्डीय विकास के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित कलक्टर गाइडलाइन के अधीन आंतरिक विकास की लागत के एक सौ पच्चीस प्रतिशत के बराबर हो;

(ख) समूह आवास की दशा में, उतनी संख्या में फ्लैट्स, जिनका कि मूल्य उस क्षेत्र में समूह आवास के लिए प्रचलित कलक्टर गाइडलाइन के अधीन आंतरिक विकास की लागत के एक सौ पच्चीस प्रतिशत के बराबर हो.

(दो) सक्षम प्राधिकारी, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यथास्थिति, भू-खण्डों या भवनों या फ्लैट्स के, जो कि बंधक रखे गए हैं, क्रमांक स्थिति एवं दिशाओं के बारे में सूचना प्रकाशित करेगा. ऐसी सूचना की एक प्रति उप पंजीयक को भी भेजी जाएगी.

(तीन) किसी कालोनाईजर को बंधक रखे गए भू-खण्डों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा दी जा सकेगी. तथापि, ऐसे भू-खण्ड, कालोनाईजर द्वारा किए गए सन्निर्माण सहित आंतरिक विकास पूर्ण होने तक नगरपालिका के पास बंधक बने रहेंगे.

(चार) कोई कालोनाईजर खण्ड (एक) के अधीन भू-खण्ड बंधक रखने के बदले में नियम 7क के अधीन संगणित की गई आंतरिक विकास लागत के एक सौ पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम की नगरपालिका के पक्ष में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प ले सकेगा. कालोनाईजर द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कालोनी के विकास के लिए अनुमोदित कालावधि का अवसान होने के छह माह पश्चात् तक विधिमान्य होगी.

(पांच) कालोनाईजर द्वारा अनुमोदित कालावधि के भीतर कालोनी का आंतरिक विकास नहीं किये जाने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, बंधक रखे गए भू-खण्ड या बैंक गारंटी को तत्काल समपहृत करने की कार्यवारी करेगा. ऐसे मामले में सक्षम प्राधिकारी, कालोनाईजर द्वारा, यदि कोई हो, किए गए आंतरिक विकास का तत्काल आकलन कराएगा और उस लागत की रकम की संगणना करेगा जो कि ऐसी कालोनी में आंतरिक विकास को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो. ऐसी लागत के एक सौ पच्चीस प्रतिशत की दर पर रकम बंधक रखे गए भू-खण्डों की खुली नीलामी या बैंक गारंटी के नगदीकरण द्वारा वसूल की जाएगी. तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कालोनी में आंतरिक विकास कराएगा.''.

(2) विद्यमान खण्ड (दो) से (आठ) को क्रमश: खण्ड (छह) से (बारह) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(छह) कालोनाईजर को नियम 7क के अधीन गणना अनुसार कालोनी के आंतरिक विकास पर उपगत होने वाली प्राक्कलित लागत के दो प्रतिशत के बराबर रकम पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में संबंधित नगरपालिका के कोषालय में जमा कराना होगा.''.

5. नियम 12-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''12-क. **कालोनी में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा.**—किसी कालोनी की विकास अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् ऐसी कालोनी में भवन निर्माण की अनुज्ञा दी जा सकेगी. तथापि, ऐसी कालोनी में जिसमें कालोनाईजर द्वारा भू-खण्डीय विकास के अधीन, भू-खण्ड विक्रय किए गए हैं, भवन अनुज्ञा केवल तब ही दी जाएगी जब सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कालोनी में आंतरिक विकास, विहित सन्नियमों के अनुसार पूर्ण हो चुका है.''.

6. नियम 14-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''14-ख. **कालोनाईजर का ब्लैकलिस्ट किया जाना.**—(1) सक्षम प्राधिकारी किसी कालोनाईजर को ब्लैकलिस्ट करेगा, यदि—

(एक) नियम 7 के उपबन्धों के अनुसार कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है;

(दो) कालोनाईजर, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-ख या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-ख के उपबंधों और इन नियमों के नियम 12 के अधीन अधिकथित अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है;

(तीन) कालोनाईजर ने अवैध कालोनी निर्माण का अपराध किया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-ग या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-ग के उपबंधों के अधीन कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है;

(चार) कालोनाईजर स्वयं या ऐसे कालोनी निर्माण से संबद्ध कोई निदेशक, सम्प्रवर्तक, वित्तपोषक (फायनेंसर) या कोई अन्य व्यक्ति या कर्मचारी ऐसी कालोनी के विकास के संबंध में घूस, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी जैसे अनाचार का दोषी पाया गया है;

(पांच) कालोनाईजर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कराने के लिए या कालोनी के विकास हेतु अनुज्ञा स्वीकृत कराने के लिए झूठी बैंक गारंटी या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें शपथ-पत्र आदि सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया है.

(2) सक्षम प्राधिकारी, कालोनाईजर को ब्लैक लिस्ट करने का लिखित में आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश का सम्यक् प्रसारण एवं प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर संधारित पंजी (रजिस्टर) में ऐसे आदेश की प्रविष्टि करेगा. सक्षम प्राधिकारी पंजी की प्रत्येक प्रविष्टि को प्रमाणित करेगा और प्रत्येक तीन माह में ऐसी पंजी की सभी प्रविष्टियां सत्यापित करेगा :

परन्तु कालोनाईजर को ब्लैक लिस्ट करने का कोई आदेश ऐसे कालोनाईजर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा तथा कालोनाईजर को ब्लैक लिस्ट करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाना आवश्यक होगा.

(3) कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या कालोनी के विकास की अनुज्ञा चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक शपथ-पत्र देगा कि वह स्वयं या उससे संबद्ध कोई व्यक्ति किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन अवैध कालोनी निर्माण का दोषी नहीं पाया गया है या कभी कालोनाईजर के रूप में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है.''.

Noti. No. 50-F 1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Sections 339-A, 339-B and 339-E of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961

(No. 37 of 1961), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules—

1. In rule 2,—

(1) For clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) "Collector" means the Collector of the District appointed by the State Government under Section 16 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).".

(2) In clause (h) for the words and brackets "Sub-Divisional Officer (Revenue)" the word "Collector" shall be substituted.

2. After rule 7, the following new rule shall be inserted, namely:—

"7A. Cost of internal development—The cost of internal development in a Colony shall be calculated on the basis of prevailing rates under the Integrated Standard Schedule of Rates published by the Department.".

3. In sub-rule (13) of rule 10, after the words "mortgaged plots" the words "or the Bank guarantee, as the case may be," shall be inserted.

4. In rule 12,—

(1) for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(i) In order to ensure complete internal development in a colony, out of the plots or houses or flats, as the case may be, to be developed by the colonizer, leaving the plots or houses or flats reserved for the economically weaker sections and the lower income group, the plots or houses or flats in the following proportion shall have to be mortgaged by the colonizer with the concerned Municipality—

(a) in case of plotted development such number of plots, cost of which under the prevailing collector guideline rates for that area for plotted development, excluding the cost of construction on such plots if any, is equal to one hundred and twenty five percent of the cost of internal development.

(b) in case of group housing such number of flats, cost of which under the prevailing collector guideline rates for that area for group housing is equal to one hundred and twenty five precent of the cost of internal development.

(ii) The Competent Authority shall publish a notice for information of the general public regarding the number, location and direction of plots or houses or flats, as the case may be, which have been mortgaged. A copy of such notice shall also be sent to the Sub Registrar.

(iii) A colonizer may be given permission of building construction on the mortgaged plots. However, such plots alnog with the construction made by the colonizer on the plots shall remain mortgaged with the municipality till completion of internal development.

(iv) A colonizer may opt for submitting bank guarantee of an amount equivalent to one hundred and twenty five per cent of the cost of internal development calculated under rule 7A, in favor of the municipality, in lieu of mortgaging the plots under clause (i). The bank guarantee so submitted by the colonizer should be valid till six months after expiry of the period approved by the competent authority for development of such colony.

(v) In case the colonizer has not carried out internal development of the colony within the approved period, the Competent Authority shall proceed forthwith to forfeit the mortgaged plots or the bank guarantee as the case may be. In such case the Competent Authority shall immediately

make assessment of the internal development carried out by the colonizer, if any, and shall calculate the amount that would be required to complete internal development in such colony. An amount at the rate of one hundred and twenty five percent of such cost shall be recovered from open auction of the mortgaged plots or by realizing the bank guarantee. Thereafter the Competent Authority shall carry out the internal development in the colony.".

(2) The existing clauses (ii) to (viii) shall be re-numbered as clauses (vi) to (xii) respectively and so renumbered for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:—

"(vi) The Colonizer shall have to deposite an amount equal to two percent of the cost to be incurred on the internal development of the colony, estimated under rule 7A, as supervision fee in the treasury of the concerned Municipality.".

5. For rule 12-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"**12-A. Permission for building construction in any colony.**—The permission for building construction in any colony may be granted after the permission for development in such colony has been given. However, building permission in a colony where plots are sold by the colonizer, under, plotted development, shall only be given when the Competent Authority is satisfied that internal development in the colony has been completed as per prescribed norms.".

6. After rule 14-A, the following rule shall be inserted, namely:—

"**14-B. Blacklisting of Colonizer.**—(1) The Competent Authority shall blacklist a colonizer if—

(i) The registration certificate of Colonizer has been cancelled in accordance with the provisions of rule7;

(ii) The Colonizer has failed to comply with the provisions of Section 292-B of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or Section 339-B of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and requirements laid down under rule-12 of these rules;

(iii) The Colonizer has committed the offence of the illegal colonization and action has been initiated by the Competent Authority under the provisions of Section 292-C of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or Section 339-C of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(iv) The Colonizer himself or any director, promoter, financer or any other person or employee associated with such colonization has been found guilty of malpractice such as bribery, corruption, fraud in respect of development of such colony;

(v) The Colonizer has been found guilty of submitting false bank guarantee or any other document including affidavit etc. for grant of registration certificate or permission for development of colony.

(2) The Compentent Authority shall pass order of blacklisting the colonizer in writing and shall ensure due circulation and publicity of such order and shall make an entry of such order in a register specially mantained for the purpose. The Competent Authority shall attest every entry made in the register and shall verify all the enteries in such register in every three months:

Provided that no order of blacklisting the colonizer shall be psssed without giving reasonable opportunity of hearing to such colonizer and reasons of blacklisting the colonizer shall necessarily be recorded in writing.

(3) Every person seeking registration certificate as colonizer or permission for development of a colony shall give an affidavit that he himself or any person associated with him has never been found gulity of illegal colonization or has not been blacklisted as colonizer under these rules by any other authority.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.